छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अतः छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व छात्र/छात्राएं निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें —

(1) सभी छात्र/छात्राओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्र/छात्राओं के पास आधार कार्ड नही है, वे प्रत्येक दशा में अपना आधार कार्ड बनवा लें।

(2) जिन छात्र/छात्राओं के पास आधार कार्ड है, वे आधार नंबर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंको में खुले अपने बैंक खातों से लिंक/सीड करा लें।

(3) हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति का नाम अंकपत्र के अनुरूप ही अपडेट करा लें।

(4) हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।

(5) आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है, तो उसको सही करा लें।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रों के आवेदन पत्र (छात्रवृत्ति) आधार नंबर ऑनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सबमिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल पर ओ०टी०पी० भेजा जाएगा। उक्त ओ०टी०पी० को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा।